रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 147] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 16, 2006/माघ 27, 1927
No. 147] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 16, 2006/MAGHA 27, 1927

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2006

का.आ. 219 (अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) दो सौ तिरासीवां संशोधन नियम, 2006 है ।

(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे ।

2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में,-

(1) प्रथम अनुसूची में,-

(i) "8क. संस्कृति मंत्रालय" शीर्षक का लोप किया जाएगा;

(ii) "18. मानव संसाधन विकास मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "(iii) महिला और बाल विकास विभाग" उपशीर्षक का लोप किया जाएगा;

(iii) "21क. खान मंत्रालय" शीर्षक के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"21ख. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय";

(iv) विद्यमान "22क. प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर, "22क. महासागर विकास मंत्रालय" शीर्षक रखा जाएगा;

(v) यथा प्रतिस्थापित "22क. महासागर विकास मंत्रालय" शीर्षक के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"22कक. प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय";

(vi) "38. पर्यटन मंत्रालय" शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक और उपशीर्षक रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"38. पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय

(i) पर्यटन विभाग

(ii) संस्कृति विभाग";

(vii) "41.जल संसाधन मंत्रालय" शीर्षक के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"41क. महिला और बाल विकास मंत्रालय";

(viii) "44. महासागर विकास विभाग" शीर्षक का लोप किया जाएगा;

(2) द्वितीय अनुसूची में,-

(i) "संस्कृति मंत्रालय" शीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) "विदेश मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 26 का लोप किया जाएगा;

(iii) "मानव संसाधन विकास मंत्रालय" शीर्षक के अधीन, "ग. महिला और बाल विकास विभाग" उपशीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(iv) "खान मंत्रालय" शीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

1. अल्पसंख्यक समुदायों के विनियामक और विकास कार्यक्रमों की समग्र नीति, विनियोजन, समन्वय, मूल्यांकन और पुनरीक्षण ।

2. विधि और व्यवस्था से संबंधित मामलों को छोड़कर, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित सभी मामले ।

3. केन्द्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के परामर्श से अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए नीतिगत पहलें एवं उनकी सुरक्षा ।

4. भाषायी अल्पसंख्यकों और भाषायी अल्पसंख्यक वर्ग आयुक्त के कार्यालय से संबंधित मामले ।

5. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम से संबंधित मामले ।

6. निष्क्रांत संपत्ति प्रशासन अधिनियम, 1950 (1950 का 31) (अब निरसित) के अधीन निष्क्रांत वक्फ संपत्तियों से संबंधित कार्य ।

7. आंग्ल-भारतीय समाज के लिए प्रतिनिधित्व ।

8. विदेश मंत्रालय के परामर्श से, 1955 के पंत-मिर्ज़ा करार के निर्बंधनों के अनुसार, पाकिस्तान के गैर-मुस्लिम धर्म-स्थानों और भारत में मुस्लिम धर्म-स्थानों का संरक्षण और परिरक्षण ।

9. विदेश मंत्रालय के परामर्श से, पड़ोसी राष्ट्रों में अल्पसंख्यक समुदायों संबंधी प्रश्न ।

10. दान और पूर्त संस्थाएं, इस विभाग में व्यवहृत विषयों से संबद्ध दान और धार्मिक विन्यास ।

11. अल्पसंख्यकों के संबंध में सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक मामले, जिनमें मौलाना आजाद शैक्षिक प्रतिष्ठान सहित अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाओं एवं संगठनों संबंधी मुद्दे शामिल है ।

12. वक्फ अधिनियम, 1995 (1995 का 43) और केन्द्रीय वक्फ परिषद ।

13. दरगाह ख्वाजा साहिब अधिनियम, 1955 (1955 का 36) ।

14. अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं हेतु वित्तपोषण, जिसमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्तपोषण निगम शामिल है ।

15. अल्पसंख्यकों के लिए केन्द्रीय तथा राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, और साथ ही निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर ।

16. संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के परामर्श से अल्पसंख्यकों के संरक्षण संबंधी उपायों को तैयार करना और उनकी सुरक्षा ।

17. धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों के मध्य सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग ।

18. जस्टिस सच्चर समिति से संबंधित सभी मामले ।

19. अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री का नया 15-सूत्री कार्यक्रम ।

20. अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित कोई अन्य विषय ।";

(v) विद्यमान "प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय" शीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"महासागर विकास मंत्रालय

1. महासागर से संबंधित ऐसे मामले जो किसी अन्य विभाग/मंत्रालय को विशिष्टतया आबंटित न किए गए हों ।

2. महासागर और ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित नीति, समन्वय, और स्कीमें जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं:

(क) (i) अनुसंधान (मौलिक अनुसंधान सहित) और उससे संबंधित उपयोगों का विकास;

(ii) प्रौद्योगिकीय विकास;

(iii) सजीव और निर्जीव समुद्री संसाधनों की उपलभ्यता का पता लगाने और उनका मानचित्रांकन करने के लिए सर्वेक्षण;

(iv) समुद्री संसाधनों का परिरक्षण, संधारण और संरक्षण;

(v) समुचित कौशल और जनशक्ति का विकास;

(vi) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सहकारिता;

(ख) उपर्युक्त से संबंधित कानून और विनियामक उपाय ।

3. खुले सागर में समुद्री पर्यावरण ।

4. महासागर आयोग ।

5. सर्वभारतीय समुद्र विज्ञान संगम ।

6. महासागर विज्ञान और प्रौद्योगिकीय अभिकरण अथवा बोर्ड ।

7. राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एन.आई.ओ.टी.)

8. राष्ट्रीय अंटार्कटिक और महासागर अनुसंधान केन्द्र (एन.सी.ए.ओ.आर.)

9. भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र (आई.एन.सी.ओ.आई.एस.)।";

(vi) "महासागर विकास मंत्रालय" शीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित शीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय

1. प्रवासी भारतीयों से संबंधित सभी मामले जिनमें भारतीय मूल के व्यक्ति तथा अनिवासी भारतीय समाविष्ट हैं, उन प्रविष्टियों को छोड़कर जो विनिर्दिष्टतः अन्य विभागों को आबंटित की गई है ।

2. समग्र सरकारी नीतियों के अनुसार नवाचारी विनिधानों और नीतिगत पहलों को शामिल करते हुए भारत में विशेषतया प्रवासी भारतीयों के लिए अनन्य विशेष आर्थिक जोनों जैसे क्षेत्रों में, प्रवासी भारतीयों द्वारा विनिधान का संवर्धन ।

3. विदेशी विनिधान संवर्धन बोर्ड और विदेशी विनिधान कार्यान्वयन प्राधिकरण में प्रतिनिधित्व होना ।

4. विनिधान आयोग से अंतःक्रिया करना तथा उक्त आयोग द्वारा इस मंत्रालय से परामर्श लिया जाना तथा प्रवासी भारतीयों के विदेशी प्रत्यक्ष विनिधान से संबंधित सभी मामलों के बारे में इस मंत्रालय को सूचित करते रहना ।

5. उत्प्रवास अधिनियम, 1983 (1983 का 31) के अधीन भारत से प्रवासी देशों को होने वाला संपूर्ण उत्प्रवास और उत्प्रवासियों की वापसी ।

6. प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों और प्रवासी भारतीय केन्द्र से संबंधित मामले ।

7. भारत में प्रवासी भारतीय स्वयंसेवकों के लिए कार्यक्रमों से संबंधित मामले ।

8. विदेश मंत्रालय से परामर्श और समन्वय करते हुए ऐसे देशों, जहां प्रवासी भारतीयों की गहन आबादी है, में प्रवासी भारतीय कार्य केन्द्रों की स्थापना और उनका प्रशासन ।

9. भारतीय मूल के व्यक्तियों/अनिवासी भारतीयों को रोजगार सहायता संबंधी नीति, जिसमें सरकारी सेवा में आरक्षण सम्मिलित नहीं है ।

10. मानव संसाधन विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय से परामर्श करके, भारत में ऐसी विभिन्न शैक्षिक, तकनीकी और सांस्कृतिक संस्थाओं, जहां अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के छात्रों के लिए विवेकाधीन कोटा विद्यमान है, में अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के छात्रों के प्रवेश से संबंधित सूचना एकत्र करना और उसका प्रचार-प्रसार करना ।

11. विदेश मंत्रालय से परामर्श करके विभिन्न स्कीमों के अधीन भारत में अध्ययन के लिए अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के छात्रों को छात्रवृत्ति ।

12. प्रवासी भारतीय समुदाय और भारत के मध्य सुदृढ़ संबंधों को सुनिश्चित करने के लिए विपणन और संचार कार्यनीतियों का विकास ।

13. आर्थिक कार्य विभाग से परामर्श करके सरकारी और मूल संगठनों को अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों के योगदान संबंधी मामले ।

14. प्रवासी भारतीयों से संबंधित मामलों पर राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश तथा उनसे सहयोग और समन्वय ।

15. भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद में प्रतिनिधित्व होना ।

16. श्रम और रोजगार मंत्रालय की सहमति से विदेशों में कुशल जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु संस्थाओं की स्थापना ।

17. विदेश मंत्रालय के परामर्श से और विदेश नीति के उद्देश्यों के अनुरूप प्रवासी भारतीय मामलों के संबंध में देश बाह्य प्रचार ।

18. व्यापार, संस्कृति, पर्यटन, मीडिया, युवा मामले, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में संबंधित मंत्रालयों से परामर्श करके भारत के साथ प्रवासी भारतीयों की अंत:क्रिया के लिए नई पहलें ।

19. नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 7ख (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग ।

टिप्पण: सभी संबंधित मंत्रालयों को, उनके द्वारा किए जाने वाले प्रवासी भारतीयों संबंधी सभी कार्यों, जैसे पीआईओ कार्ड स्कीम, दोहरी नागरिकता संबंधी मुद्दे, प्रवासी भारतीयों के गैर सरकारी संगठनों के एफसीआरए संबंधी मामलों, में प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से परामर्श करना होगा । इसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक प्रवासी भारतीयों के निक्षेपों को नियंत्रित करने वाली नीतियां और स्कीमें तैयार करने के दौरान प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय से परामर्श करेगा ।'';

(vii) ''सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय'' शीर्षक के अधीन,-

''(क) प्रविष्टि 12 प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

''12. भिक्षावृत्ति ।'';

(ख) प्रविष्टि 13,14,39, 40, 41, 42, 43, 45 और 47 का लोप किया जाएगा ।'';

(viii) ''पर्यटन मंत्रालय'' शीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक, उपशीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

''पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय

क. पर्यटन विभाग

1. पर्यटन का विकास और संवर्धन ।

2. पर्यटन के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ।

3. भारत पर्यटन विकास निगम और स्वायत्त संस्थान ।

ख. संस्कृति विभाग

1. पुस्तकालय विकास संबंधी नीतिगत मामले ।

2. राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता; केन्द्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता; केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय, नई दिल्ली; रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर; दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली; खुदाबख्श ओरियन्टल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना; राजाराम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता; भारत कार्यालय पुस्तकालय ।

3. राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपत्ति संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ ।

4. राष्ट्रीय पांडुलिपि संरक्षण मिशन ।

5. भारत पुरातत्त्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली; पुरातत्वीय स्थल संग्रहालय; ऐतिहासिक और पुरातत्त्वीय अवशेषों का उत्खनन और खोज ।

6. ऐतिहासिक और पुरातत्त्वीय अवशेषों के उत्खनन और खोज कार्य के लिए विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थाओं को अनुदान ।

7. सशस्त्र संघर्ष की दशा में सांस्कृतिक सम्पत्ति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय ।

8. स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास ।

9. गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली; नेहरु स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली; जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक न्यास; मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता; भारतीय युद्ध स्मारक ।

10. ललित कलाओं, अभिनय कलाओं की अभिवृद्धि ।

11. साहित्य अकादमी; ललित कला अकादमी; संगीत नाटक अकादमी ।

12. राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली; भारतीय संग्रहालय, कोलकाता; सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद; इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद; राष्ट्रीय नव कला दीर्घा नई दिल्ली, मुंबई और बंगलौर; विक्टोरिया स्मारक हाल, कोलकाता; इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल; राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता; रत्न और आभूषण संग्रहालय; संग्रहालयों का सामान्य विकास ।

13. राष्ट्रीय कला संरक्षण और संग्रहालय-विज्ञान इतिहास संग्रहालय संस्थान, नई दिल्ली ।

14. भारतीय और विदेशी कला वस्तुओं का अर्जन ।

15. ग्रामीण क्षेत्रों में खुली नाट्यशालाएं और राज्यों की राजधानियों में नाट्यशालाएं ।

16. निर्धनावस्था वाले ऐसे लेखकों और कलाकारों अथवा उनके उत्तरजीवियों, जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की स्कीम के अधीन नहीं आते, को वित्तीय सहायता; सांस्कृतिक संगठनों और संस्थाओं को अनुदान; इस विभाग में व्यवहृत विषयों के संबंध में छात्रवृत्तियां और फैलोशिप, जिनमें विदेशी सरकारों और विदेशी अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियां और फैलोशिप भी है; बहुउद्देश्यीय सांस्कृतिक काम्पलैक्स स्थापित करने के लिए अनुदान ।

17. दान और पूर्त संस्थाएं, इस विभाग में व्यवहृत विषयों से संबद्ध दान और धार्मिक विन्यास ।

18. इस विभाग में व्यवहृत विषयों के संबंध में छात्रवृत्तियां जिसके अंतर्गत विदेशी सरकारों और विदेशी अभिकरणों द्वारा दी जाने वाली छात्रवृत्तियां भी है ।

19. दुर्लभ हस्तलेखों का प्रकाशन ।

20. परंपरागत संस्कृति और लोकसंस्कृति की सुरक्षा ।

21. भारतीय - विदेशी सांस्कृतिक सोसाइटियों को अनुदान ।

22. विदेशों के साथ सांस्कृतिक करार, सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम और मैत्री संधियां ।

23. विदेशों से उपहारस्वरूप प्राप्त पुस्तकों का वितरण ।

24. विदेशों में सांस्कृतिक अताशियों की नियुक्ति ।

25. समर्थित और असमर्थित सांस्कृतिक शिष्टमंडलों, आदि द्वारा भारत का परिदर्शन ।

26. विदेश परिदर्शन के लिए सरकार द्वारा समर्थित व्यक्ति (जिसके अंतर्गत सांस्कृतिक व्याख्याता भी है) ।

418 GI/06

27. विदेशों को पुस्तकें भेंट करना ।

28. विदेशों में पुस्तकालयों की स्थापना ।

29. भारतीय वरेण्य ग्रंथों का विदेशी भाषाओं में अनुवाद ।

30. शासकीय प्रकाशनों का विदेशी सरकारों और संस्थाओं के साथ विनिमय और ऐसे विनिमयों के लिए करार ।

31. विदेशों में भारतीय कला वस्तुओं का प्रदर्शन ।

32. पुरावस्तुओं का निर्यात ।

33. सांस्कृतिक संस्थाओं में विदेशी विद्यार्थियों का प्रवेश ।

34. सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अधीन कलाकारों, नर्तकों/नर्तकियों, संगीतज्ञों, आदि का विनिमय ।

35. विदेशों में भारतीय पर्व ।

36. गजेटियरों का पुनरीक्षण ।

37. महत्वपूर्ण व्यक्तियों की शताब्दियों और वार्षिकोत्सवों और घटनाओं को मनाना।

38. सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली ।

10/-

39. इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ ओरियंटलिस्ट्स ।

40. भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता ।

41. भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली; गजेटियर्स; एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता ।

42. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ।

43. रवीन्द्र रंगशाला ।

44. आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्र ।

45. राष्ट्रीय संस्कृति परिषद ।

46. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, नई दिल्ली ।

47. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली; राष्ट्रीय नाट्यगृह ।

48. राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि ।

49. गांधी शांति पुरस्कार ।

50. केन्द्रीय उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान, सारनाथ; केन्द्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह; नव नालन्दा महाविद्यालय, नालन्दा ।

51. कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नई ।

52. निम्नलिखित अधिनियमों का कार्यान्वयन और प्रवर्तन, अर्थात्:-

(क) भारतीय निखात निधि अधिनियम, 1878 (1878 का 6);

(ख) पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 (1972 का 52);

(ग) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24);

(घ) प्राचीन संस्मारक परिरक्षण अधिनियम, 1904 (1904 का 4);

(ड.) पुस्तक और समाचार पत्र परिदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम, 1954 (1954 का 27);

(च) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) (जहां तक कि केन्द्रीय सरकार को पुस्तकें और सूची पत्र देने का संबंध है);

(छ) लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 (1993 का 69)।'';

(ix) ''जल संसाधन मंत्रालय'' शीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

''महिला और बाल विकास मंत्रालय

1. परिवार कल्याण ।

2. महिला और बाल कल्याण और इस विषय के संबंध में अन्य मंत्रालयों और संगठनों के कार्यकलापों का समन्वय ।

3. महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त संदर्भ ।

4. विद्यालय प्रवेश से पूर्व के बच्चों की देखभाल जिसमें प्राथमिक-पूर्व शिक्षा शामिल है ।

5. राष्ट्रीय पोषण नीति, पोषण और राष्ट्रीय पोषण मिशन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना ।

6. इस विभाग को आबंटित विषयों से संबंधित पूर्त और धार्मिक विन्यास ।

7. इस विभाग को आबंटित विषयों के संबंध में स्वैच्छिक उद्यम का संवर्धन और विकास ।

8. निम्नलिखित का कार्यान्वयन -

(क) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (1986 तक यथासंशोधित);

(ख) स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 (1986 का 60);

(ग) दहेज निषेध अधिनियम, 1961 (1986 तक यथासंशोधित);

(घ) सती (निवारण) अधिनियम, 1987 (1988 का 3), इन अधिनियमों के अधीन अपराधों के संबंध में दांडिक न्याय का प्रशासन नहीं है ।

9. शिशु दुग्ध प्रतिस्थानी, पिलाने की बोतल और शिशु आहार (उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 41) का कार्यान्वयन ।

10. कोआपरेटिव फार असिसटेंस एण्ड रिलीफ एवरीवेयर (केयर) के क्रियाकलापों तथा कार्यक्रमों का समन्वय ।

11. महिलाओं और बच्चों के, जिसके अंतर्गत लिंग संवेदन आंकड़े आधार का विकास भी है, कल्याण और विकास से संबंधित योजना, अनुसंधान, मूल्यांकन, मानिटर करना, परियोजना बनाना, आंकड़े और प्रशिक्षण ।

12. संयुक्त राष्ट्र संघ बाल निधि (यूनिसेफ) ।

13. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (के0स0क0बो0) ।

14. राष्ट्रीय लोक सहयोग और बाल विकास संस्थान (एन0आई0पी0सी0सी0डी0) ।

15. खाद्य और पोषण बोर्ड ।

16. (i) समनुषंगी और संरक्षित खाद्य पदार्थो का विकास और उन्हें लोकप्रिय बनाना ।

(ii) पोषण का विस्तार ।

17. महिला सशक्तिकरण और लिंग समानता ।

18. राष्ट्रीय महिला आयोग ।

19. राष्ट्रीय महिला कोष ।

20. किशोर अपचारिता और आवारागर्दी ।

21. किशोर अपराधियों की परिवीक्षा ।

..13/-

22. दत्तक ग्रहण, केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी तथा चाइल्ड हैल्पलाइन (चाइल्डलाइन) से संबंधित मुद्दे ।

23. बालक अधिनियम, 1960 (1960 का 60) ।

24. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (2000 का 56) ।

25. बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 (1929 का 19) ।'';

(x) ''महासागर विकास विभाग'' शीर्षक और तत्संबंधी प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।''।

ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/22/1/2006-कैबि]

के. एल. शर्मा, अवर सचिव

पी3 CI/06

CABINET SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th February, 2006

S.O. 219(E).—In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:-

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Two hundred and eighty third Amendment Rules, 2006.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961,-

(1) in the FIRST SCHEDULE,-

(i) the heading "8A. Ministry of Culture (Sanskriti Mantralaya)" shall be omitted;

(ii) under the heading "18. Ministry of Human Resource Development (Manav Sansadhan Vikas Mantralaya), the sub-heading "(iii) Department of Women and Child Development (Mahila aur Bal Vikas Vibhag)" shall be omitted;

(iii) after the heading "21A. Ministry of Mines (Khan Mantralaya)", the following heading shall be inserted, namely:-

"21B. Ministry of Minority Affairs (Alpasankhyak Karya Mantralaya)";

(iv) for the existing heading "22A. Ministry of Overseas Indian Affairs (Pravasi Bhartiya Karya Mantralaya)", the heading "22A. Ministry of Ocean Development (Mahasagar Vikas Mantralaya)" shall be substituted;

(v) after the heading "22A. Ministry of Ocean Development (Mahasagar Vikas Mantralaya)", as so substituted, the following heading shall be inserted, namely:-

"22AA. Ministry of Overseas Indian Affairs (Pravasi Bhartiya Karya Mantralaya)";

(vi) for the heading "38. Ministry of Tourism (Paryatan Mantralaya)", the following heading and sub-headings shall be substituted, namely:-

"38. Ministry of Tourism and Culture (Paryatan aur Sanskriti Mantralaya)

(i) Department of Tourism (Paryatan Vibhag)

(ii) Department of Culture (Sanskriti Vibhag)";

(vii) after the heading "41. Ministry of Water Resources (Jal Sansadhan Mantralaya)", the following heading shall be inserted, namely:-

"41A. Ministry of Women and Child Development (Mahila aur Bal Vikas Mantralaya)";

(viii) the heading "44. Department of Ocean Development (Mahasagar Vikas Vibhag)" shall be omitted;

(2) in the SECOND SCHEDULE,-

(i) the heading "MINISTRY OF CULTURE (SANSKRITI MANTRALAYA)" and entries relating thereto shall be omitted;

(ii) under the heading "MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (VIDESH MANTRALAYA)", the entry 26 shall be omitted;

(iii) under the heading "MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (MANAV SANSADHAN VIKAS MANTRALAYA)", the sub-heading "C. DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (MAHILA AUR BAL VIKAS VIBHAG)" and entries relating thereto shall be omitted;

(iv) after the heading "Ministry of Mines (Khan Mantralaya)" and entries relating thereto, the following heading and entries relating thereto shall be inserted, namely :-

"MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS (ALPASANKHAYAK KARYA MANTRALAYA)

1. Overall policy, planning, coordination, evaluation and review of the regulatory and developmental programmes of the minority communities.

2. All matters relating to minority communities except matters relating to law and order.

3. Policy initiatives for protection of minorities and their security in consultation with other Central Government Ministries and State Governments.

4. Matters relating to linguistic minorities and of the office of the Commissioner for Linguistic Minorities.

5. Matters relating to the National Commission for Minorities Act.

6. Work relating to the evacuee Wakf properties under the Administration of Evacuee Property Act, 1950 (31 of 1950) (since repealed).

7. Representation of the Anglo-Indian Community.

8. Protection and preservation of non-Muslim shrines in Pakistan and Muslim shrines in India in terms of the Pant-Mirza Agreement of 1955, in consultation with the Ministry of External Affairs.

9. Questions relating to the minority communities in neighbouring Countries, in consultation with the Ministry of External Affairs.

10. Charities and Charitable Institutions, Charitable and religious Endowments pertaining to subjects dealt with in the Department.

11. Socio-economic, cultural and educational matters pertaining to minorities, including issues related to minority educational institutions and organizations, including the Maulana Azad Education Foundation.

12. The Wakf Act, 1995 (43 of 1995) and Central Wakf Council.

13. The Durgah Khawaja Saheb Act, 1955 (36 of 1955).

14. Funding of programmes and projects for the welfare of minorities, including the National Minorities Development and Finance Corporation.

15. Employment opportunities for minorities in the Central and State public sector undertakings, as also in the private sector.

16. Formulation of measures relating to the protection of minorities and their security in consultation with other concerned Central Ministries and State Governments.

17. National Commission for Socially and Economically Backward Sections among Religious and Linguistic Minorities.

18. All matters relating to the Justice Sachar Committee.

19. Prime Minister's new 15-Point Programme for Minorities.

20. Any other issue pertaining to the minority communities.";

(v) for the existing heading "MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS (PRAVASI BHARTIYA KARYA MANTRALYA)" and the entries relating thereto, the following heading and the entries relating thereto shall be inserted, namely:-

"MINISTRY OF OCEAN DEVELOPMENT
(MAHASAGAR VIKAS MANTRALAYA)

1. Matters relating to the Ocean and not specifically allocated to any other Department/Ministry.

2. Policy, coordination, and schemes relating to the Oceans and Polar regions covering interalia:

(a) (i) research (including fundamental research) and the development of uses relatable thereto;

(ii) technology development;

(iii) surveys to map, locate and assess living and non-living marine resources;

(iv) preservation, conservation and protection of marine resources;

(v) development of appropriate skills and manpower;

(vi) international collaboration and cooperation;

(b) laws and regulatory measures relating to the above.

3. Marine environment on the high seas.

4. Ocean Commission.

5. The Pan Indian Ocean Science Association.

6. Ocean Science and Technology Agency or Board.

7. National Institute of Ocean Technology (NIOT).

8. National Centre for Antarctic and Ocean Research (NCAOR).

9. Indian National Centre for Ocean Information Services (INCOIS).";

(vi) after the heading "MINISTRY OF OCEAN DEVELOPMENT (MAHASAGAR VIKAS MANTRALAYA)" and the entries relating thereto, the following heading and the entries relating thereto shall be inserted, namely:-

"MINISTRY OF OVERSEAS INDIAN AFFAIRS (PRAVASI BHARTIYA KARYA MANTRALAYA)

1. All matters relating to Overseas Indians comprising Persons of Indian Origin (PIO) and Non-Resident Indians (NRIs) excluding entries specifically allotted to other Departments.

2. Promotion of investment by Overseas Indians in India including innovative investments and policy initiatives consistent with the overall

Government policies particularly in areas such as exclusive Special Economic Zones (SEZs) for Overseas Indians.

3. To be represented in the Foreign Investment Promotion Board and the Foreign Investment Implementation Authority.

4. To interact with the Investment Commission and to be consulted by the said Commission and to be kept informed of all matters relating to Foreign Direct Investment (FDI) by Overseas Indians.

5. All emigration under the Emigration Act, 1983 (31 of 1983) from India to overseas countries and the return of emigrants.

6. Matters relating to Pravasi Bharatiya Divas, Pravasi Bharatiya Samman Awards and Pravasi Bharatiya Kendra.

7. Matters relating to programmes in India for overseas Indian Volunteers.

8. Setting up and administration of Centres for Overseas Indians' Affairs in countries having major concentration of Overseas Indians in consultation and coordination with the Ministry of External Affairs.

9. Policy regarding employment assistance to PIO/NRIs excluding reservations in Government service.

10. Collection and dissemination of information concerning admission of NRI/PIO students to various educational, technical and cultural institutions in India wherever discretionary quota for NRI/PIO students exists, in consultation with the Ministry of Human Resource Development and the Ministry of Culture.

11. Scholarship to NRI/PIO students for study in India under different schemes in consultation with the Ministry of External Affairs.

12. Development of marketing and communication strategies to ensure strong links between the Overseas Indian community and India.

13. Matters relating to NRI/PIO contributions to the Government and parental organisations in consultation with the Department of Economic Affairs.

14. Guidance to and Cooperation with the State Governments and coordination with them on matters related to Overseas Indians.

15. To be represented in the Indian Council of Cultural Relations.

16. Establishment of institutions to impart vocational and technical training to meet the requirements of skilled manpower abroad with the concurrence of the Ministry of Labour and Employment.

17. External Publicity relating to Overseas Indians' affairs in consultation with the Ministry of External Affairs and in consonance with foreign policy objectives.

18. New initiatives for interaction by Overseas Indians with India in the fields such as Trade, Culture, Tourism, Media, Youth Affairs, Health, Education, Science and Technology in consultation with concerned Ministries.

19. Exercise of powers conferred by the section 7B(1) of the Citizenship Act, 1955 (57 of 1955).

Note: The Ministry of Overseas Indian Affairs will be consulted by the concerned Ministries in all matters concerning Overseas Indians handled by them such as PIO Card Scheme, dual citizenship issues, FCRA matters of Non-Governmental Organisations (NGOs) of Overseas Indians. Similarly Reserve Bank of India (RBI) will consult Ministry of Overseas Indian Affairs while framing policies and schemes governing deposits by overseas Indians.".

(vii) under the heading "MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SAMAJIK NYAYA AUR ADHIKARITA MANTRALAYA)",-

"(a) the entry 12 shall be substituted, namely:-

"12. Beggary.";

(b) the entries 13, 14, 39, 40, 41, 42, 43, 45 and 47 shall be omitted.";

(viii) for the heading "MINISTRY OF TOURISM (PARYATAN MANTRALAYA)" and the entries relating thereto, the following heading, sub-headings and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

"MINISTRY OF TOURISM AND CULTURE

A. DEPARTMENT OF TOURISM (PARYATAN VIBHAG)

1. Development and Promotion of Tourism.

2. International Cooperation in the field of Tourism.

3. India Tourism Development Corporation and Autonomous Institutes.

B. DEPARTMENT OF CULTURE (SANSKRITI VIBHAG)

1. Policy matters regarding Library development.

2. National Library, Kolkata; Central Reference Library, Kolkata; Central Secretariat Library, New Delhi; Rampur Raza Library, Rampur; Delhi Public Library, New Delhi; Khudabaksh Oriental Public Library, Patna; Raja Rammohan Roy Library Foundation, Kolkata; India Office Library, London.

3. National Research Laboratory for Conservation of Cultural Property, Lucknow.

4. National Mission for Preservation of Manuscripts.

5. Archaeological Survey of India, New Delhi; Archaeological Site Museums; Excavation and exploration of historical and archaeological remains.

6. Grants of Universities and Research Institutions for excavation and exploration of historical and archaeological remains.

7. International Conventions for the protection of cultural property in the event of armed conflict.

8. History of Freedom Movement.

9. Gandhi Smriti and Darshan Samiti, New Delhi; Nehru Memorial Museum & Library, New Delhi; Jallianwala Bagh National Memorial Trust; Maulana Abul Kalam Azad Institute for Asian Studies, Kolkata; Indian War Memorial.

10. Promotion of Fine Arts and Performing Arts.

11. Sahitya Akademi; Lalit Kala Akademi; Sangeet Natak Akademi.

12. National Museum, New Delhi; Indian Museum, Kolkata, Salar Jung Museum, Hyderabad; Allahabad Museum, Allahabad; National Gallery of Modern Art, New Delhi, Mumbai and Bangalore; Victoria Memorial Hall, Kolkata; Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal; National Council of Science Museum, Kolkata; Museum of Gems and Jewellery; General Development of Museums.

13. National Museum Institute of History of Art, Conservation and Museology, New Delhi.

14. Acquisition of Indian and Foreign Art objects.

15. Open air theatres in rural areas and theatres in State capitals.

16. Financial assistance to authors and artists or their survivors in indigent circumstances, other than those belonging to the categories covered under the scheme of Ministry of Information and Broadcasting; Grants to cultural organizations and institutions; Scholarships and Fellowships including those offered by foreign governments and foreign agencies, in respect of subjects dealt with by this Department; Grants for setting up Multipurpose Cultural Complex.

17. Charities and Charitable Institutions, Charities and Religious Endowments pertaining to subjects dealt within this Department.

18. Scholarships, including those offered by foreign Government and foreign agencies, in respect of subjects dealt with by this Department.

19. Publication of rare manuscripts.

20. Safeguarding of Traditional Culture and Folklore.

21. Grants to Indo-foreign Cultural Societies.

22. Cultural Agreements, Cultural Exchange Programmes (CEP) and Friendship Treaties with foreign countries.

23. Distribution of gift books received from abroad.

24. Appointment of Cultural Attaches abroad.

25. Visit of Cultural Delegations, etc. to India, sponsored and unsponsored.

26. Individuals (including cultural lecturers) sponsored by Government for visits abroad.

27. Presentation of books to foreign countries.

28. Establishment of libraries abroad.

29. Translation of Indian classics into foreign languages.

30. Exchange of official publications with foreign Governments and institutions and agreements for such exchanges.

31. Presentation of Indian art objects abroad.

32. Export of antiquities.

33. Admission of Foreign students in Cultural Institutions.

34. Exchange of artists, dancers, musicians, etc. under the Cultural Exchange Programmes.

35. Festivals of India abroad.

36. Revision of Gazetters.

37. Observance of Centenaries and Anniversaries of important personalities and events.

38. Centre for Cultural Resources and Training, New Delhi.

39. International Congress of Orientalists.

40. Anthropological Survey of India, Kolkata.

41. National Archives of India, New Delhi; Gazeteers; Asiatic Society, Kolkata.

42. Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya.

43. Rabindra Rangshalla.

44. Zonal Cultural Centres.

45. National Council of Culture.

46. Indira Gandhi National Centre for Arts, New Delhi.

47. National School of Drama, New Delhi; National Theatre.

48. National Culture Fund.

49. Gandhi Peace Prize.

50. Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath; Central Institute of Buddhist Studies, Leh; Nav Nalanda Mahavidyalaya, Nalanda.

51. Kalakshetra Foundation, Chennai.

52. Implementation and enforcement of the following Acts, namely:-

(a) The Indian Treasure Trove Act, 1878 (6 of 1878);

(b) The Antiquities and Art Treasures Act, 1972 (52 of 1972);

(c) The Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

(d) The Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (7 of 1904);

(e) The Delivery of Books and Newspapers (Public Libraries) Act, 1954 (27 of 1954);

(f) Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867) (in so far as supply of books and catalogues to Central Government is concerned);

(g) The Public Record Act, 1993 (69 of 1993).";

(ix) after the heading "MINISTRY OF WATER RESOURCES (JAL SANSADHAN MANTRALYA)" and the entries relating thereto, the following heading and the entries relating thereto shall be inserted, namely:-

"MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
(MAHILA AUR BAL VIKAS MANTRALAYA).

1. Welfare of the family.

2. Women and Child welfare and co-ordination of activities of other Ministries and Organisations in connection with this subject.

3. References from the United Nations Organisations relating to traffic in women and children.

4. Care of pre-school children including pre-primary education.

5. National Nutrition Policy, National Plan of Action for Nutrition and National Nutrition Mission.

6. Charitable and religious endowments pertaining to subjects allocated to this Department.

7. Promotion and development of voluntary effort on subjects allocated to this Department.

8. Implementation of-

(a) The Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (104 of 1956) (as amended upto 1986);

(b) The Indecent Representation of Women (Prevention) Act, 1986 (60 of 1986);

(c) The Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961) (as amended upto 1986);

(d) The Commission of Sati (Prevention) Act, 1987 (3 of 1988), excluding the administration of criminal justice in regard to offences under these Acts.

9. Implementation of the Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Food (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992 (41 of 1992).

10. Coordination of activities and programmes of Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE).

11. Planning, Research, Evaluation, Monitoring, Project Formulations, Statistics and Training relating to the welfare and development of women and children, including development of gender sensitive data base.

12. United Nations Children's Fund (UNICEF).

13. Central Social Welfare Board (CSWB).

14. **National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD).**

15. **Food and Nutrition Board.**

16. **(i) Development and popularisation of subsidary and protective foods.**

(ii) Nutrition extension.

17. **Women's Empowerment and Gender Equity.**

18. **National Commission for Women.**

19. **Rashtriya Mahila Kosh.**

20. **Juvenile delinquency and vagrancy.**

21. **Probation of Juvenile offenders.**

22. **Issues relating to adoption, Central Adoption Resource Agency and Child Help Line (Childline).**

23. **The Children Act, 1960 (60 of 1960).**

24. **The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2000 (56 of 2000).**

25. **The Child Marriage – Restraint Act, 1929 (19 of 1929).";**

(x) the heading "DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT (MAHASAGAR VIKAS VIBHAG)" and entries relating thereto shall be omitted.".

A.P.J. ABDUL KALAM, President

[F. No.1/22/1/2006-Cab.]
K.L. SHARMA, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.